मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 1983

क्रमांक 275अ/599/1(3) 83.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 की "अनुसूची", जिसे इन नियमों के नियम-33 के उपबन्धों के अधीन, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 की "अनुसूची" कहा गया है, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

राज्य शासन की कार्यपालिक सेवा के अन्तर्गत, वर्ग दो डिप्टी कलेक्टर के संबंध में विद्यमान प्रावधानों के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान अन्त: स्थापित किये जाते हैं, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	वह प्राधिकारी जो उन शास्तियों को अधिरोपित करने के लिये सक्षम होगा, जिन्हें कि वह (नियम-10 में दिये गये पदों के संबंध में) अधिरोपित कर सकेगा.		
		प्राधिकारी	शास्ति	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वर्ग दो (कार्यपालिक) डिप्टी कलेक्टर	राज्य शासन	1. राज्य शासन	समस्त	राज्यपाल
		2. सम्भागीय आयुक्त	नियम 10 के पद क्रमांक एक से चार	राज्य शासन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.